कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा./पीएसपी–सी/अ–2/60566/मान्यता क्रमोन्नति विज्ञप्ति/2026–27/46995 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक, समस्त

विषयः गैर सरकारी विद्यालयों के मान्यता संबंधी दिशा–निर्देशों में आगामी सत्र 2026–27 में प्रयोगशाला का माप सीबीएसई के मापदण्डानुसार करने के बाबत।

प्रसंगः 1. शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर का पत्र क्रमांक : प.9(8)शिक्षा–5/BRAP/2026 दिनांक 18.02.2026
2. इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञप्ति एवं दिशा–निर्देश दिनांक 20.12.2025

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय की प्रासंगिक विज्ञप्ति एवं दिशा–निर्देश जारी कर राज्य में संचालित गैर सरकारी विद्यालयों की सत्र 2026–27 में नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/माध्यम, नाम, भवन/स्थान, वर्ग परिवर्तन/अतिरिक्त विषय, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त माध्यम, एनओसी आदि हेतु इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाईन आवेदन आमन्त्रित किये गये है।

गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा आवेदन किये जाने हेतु जारी दिशा–निर्देशों के **बिन्दु संख्या** 10 में **प्रायोगिक विषय की प्रयोगशाला का माप 9x8 वर्गमीटर होना आवश्यक है।** लेकिन शासन के प्रासंगिक पत्र दिनांक 18.02.2026 के अनुसार दिनांक 06.02.2026 **को मुख्य सचिव महोदय** की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना में गैर सरकारी विद्यालयों के मान्यता संबंधी दिशा–निर्देशों में आगामी सत्र 2026–27 से प्रयोगशाला का माप विभागीय मापदण्ड **9x 8 वर्गमीटर को सीबीएसई के मापदण्डों के अनुरूप 9x6 वर्गमीटर किया गया है।**

अतः जारी दिशा–निर्देशों के **बिन्दु संख्या 10** में प्रायोगिक विषय की प्रयोगशाला का माप **9x8** वर्गमीटर के स्थान पर **9x6** वर्गमीटर संशोधित किया जाता है। प्रयोगशाला के संशोधित माप के अनुसार ही गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा किये गये आवेदन के संदर्भ में निरीक्षण/जांच परीक्षण उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन मय पत्रावलियां इस कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।

शेष निर्देश मूल विज्ञप्ति एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार यथावत रहेंगें।

सीताराम जाट
(आई.ए.एस.)
निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, शिक्षा मंत्री महोदय (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकूल, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायतीराज (प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.02.24 20:57:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20716045

5. शासन उप सचिव,, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी शिक्षा संकुल, जयपुर।
7. सचिव, बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर।
8- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर/CBSE/ CISCE/ CAIE/ IB एवं अन्य संबंधित बोर्ड।
9. सिस्टम एनालिस्ट (कम्प्यूटर अनुभाग) को विज्ञप्ति टाईमफ्रेम विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. **समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ ।**
11. समस्त गैर सरकारी संस्था .....
12. निजी सहायक, निजी अनुभाग, निदेशालय प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा।
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2026.02.24 20:57:20 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20716045